भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1607

दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा

1607. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली(पाटील):

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अस्तित्व के बावजूद देश में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का ससुराल में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को प्रभावी कानूनी सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अधिनियम के लागू होने से लेकर अब तक इन पीड़ितों की सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट सुरक्षा अधिकारियों और आश्रयगृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने 2019 से लेकर अब तक केंद्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि से घरेलू हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने पीड़ित लाभान्वित हुए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ''भारत में अपराध'' नामक अपने प्रकाशन में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों सहित अपराध से संबंधित आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2021 तक उपलब्ध है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत

पंजीकृत शिकायतों का ब्यौरा एनसीआरबी की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या क्रमश: 553, 446 और 507 है।

''पुलिस'' और ''सार्वजनिक व्यवस्था'' भारत के संविधान की सांतवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। घरेलू हिंसा के मामलों सहित महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन सहित कानून और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का होता है और वे इससे निपटने में सक्षम होती है।

फिर भी, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और सरकार ने इस संबंध में विभिन्न विधायी और स्कीम संबंधी प्रयास किए हैं। इसमें अपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 आदि जैसे कानून बनाया जाना शामिल है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/परियोजनाओं में वन स्टाप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन का वैश्वीकरण (डब्ल्यूएचएल), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो कि आपातकाल के लिए एक पैन इंडिया सिंगल नम्बर 112/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस थानों में महिला हेल्पडेस्कों (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण आदि शामिल है।

निर्भया निधि के अंतर्गत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्वेषण अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने महिला हेल्पडेस्कों के सुचारू कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों में महिला हेल्पडेस्क के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। ''महिला सुरक्षा और संरक्षा - पुलिस में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले और अन्वेषण करने वालों के लिए पुस्तिका'' शीर्षक वाली एक पुस्तक भी यौन हमले के अपराध के संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के निवारण और अन्वेषण के उद्देश्य के लिए तैयार की गई है जिसमें अपराध का अन्वेषण, पीड़ित को मुआवजा तथा पुनर्वास शामिल है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के क्रम में तथा अपराध के पीड़ितों के साथ बातचीत के क्रम में पुलिस के उपयुक्त व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल पर विशेष बल दिया गया है। बीपीआरडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कार्मिकों का जेंडर सुग्राहीकरण आदि के संबंधित बेवीनार का आयोजन भी किया गया है।

हिंसा द्वारा प्रभावित और संकट में पड़ी महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को महसूस करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन महिलाओं को सहायता देने के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में वन स्टाप सेंटरों (ओएससी) के स्टाफ को ''स्त्री मनोरक्षा'' नामक परियोजना के अंतर्गत आधारभूत और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीयूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस (नीमहंस) की सेवाएं ली हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) जैसी संस्थाओं तथा राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा तथा कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, ऑडियो विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है।

(ग) और (घ) : पीडबल्यूडीवीए का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीडबल्यूडीवीए की धारा 9 के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना संरक्षण अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा, मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिए अंब्रेला स्कीम है, के अंतर्गत, मंत्रालय ''वन स्टाप सेंटर (ओएससी)'' के घटकों का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत एक ही स्थान पर कई एकीकृत सेवाएं जैसे कि चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श, पुलिस सुविधा, कानूनी सहायता और परामर्श तथा 5 दिन तक अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यकतानुसार मिशन शक्ति के अन्य घटक ''शक्ति सदन'' में रखा जा सकता है। आज की तारीख तक देश भर में 733 वन स्टाप सेंटर प्रचालनरत है। इसके अतिरिक्त, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिला पीड़िताओं को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 441 शक्ति सदन प्रचालनरत है। शक्ति सदन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संख्या **अनुलग्नक** में है।

(ड.) और (च) : पीड़िता मुआवजे की प्रक्रिया को दो तरीके से पूरा किया जाता है। सबसे पहले विचार न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएलएसए) को सिफारिश करने के लिए सशक्त बनाया गया है। विचारण करने वाला न्यायालय यदि इस बात में संतुष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत दिया गया मुआवजा पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह सिफारिश कर सकता है। दूसरा उन मामलों में जहां अपराधी का न तो पता लगाया जा सकता

है और न ही पहचान की जा सकती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है वहां पीड़ित या उस पर निर्भर व्यक्ति मुआवजे हेतु डीएलएसए या एसएलएसए के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होने पर, डीएलएसए या एसएलएसए की जांच करनी होती है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पर्याप्त मुआवजा देना होता है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 565/2012 (निपुण सक्सेना बनाम संघ सरकार एवं अन्य) के निदेशों के अनुक्रम में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यौन हमले/अन्य अपराधों की महिला पीड़िताओं/व्यक्तियों के लिए मुआवजा स्कीम तैयार की है। इस स्कीम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया था। बहुत सी राज्य सरकारों ने एनएएलएसए स्कीम के अनुसार अपनी वर्तमान पीड़ित मुआवजा स्कीमों में संशोधन किया है। यह स्कीम महिला पीड़ित मुआवजा निधि की व्यवस्था करती है जो कि राज्य पीड़ित मुआवजा निधि तथा केंद्रीय निधि में से महिला पीड़िताओं के वितरण हेतु एक पृथक निधि है।

केंद्रीय निधि से तात्पर्य केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) स्कीम 2015 से प्राप्त होने वाले योगदान से है। केंद्र सरकार ने अपने-अपने संबंधित पीड़ित मुआवजा निधियां प्रदान करने के लिए ''निर्भया फंड'' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) के अंतर्गत् 200 करोड़ रुपये का एकमुश्त सहायता अनुदान प्रदान किया है। मुआवजा देने और वितरित करने का तरीका विभिन्न राज्यों की स्कीमों के अनुसार अलग होता है।

*****

अनुलग्नक

शक्ति सदन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शक्ति सदन की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	26
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	36
5.	चंडीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ	4
7.	दिल्ली	2
8.	गोवा	3
9.	गुजरात	6
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	2
12.	झारखंड	7
13.	कर्नाटक	65
14.	केरल	9
15.	मध्य प्रदेश	15
16.	महाराष्ट्र	14
17.	मणिपुर	45
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	12
20.	नागालैंड	2
21.	ओडिशा	68
22.	पंजाब	2
23.	राजस्थान	9
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	35
26.	तेलंगाना	20
27.	त्रिपुरा	3
	उत्तराखंड	2
28.	उत्तर प्रदेश	13
29.	पश्चिम बंगाल	34
	कुल	**441**